न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण सं0 05/1995

प्रार्थीः—
तहसीलदार, पाली (भूगिधारी)

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. मोहनलाल पुत्र पोकर कौम भांवी, सा. पाली
2. मियाला पुत्र किशना कौम ढोली सा. गजनीपुरा हाल पाली
3. सिसरा पुत्र मियाला कौम ढोली सा. गजनीपुरा हाल पाली
4. अमरचंद पुत्र खींवराज कौम ओसवाल गादिया सा. पाली
5. सुन्दरकंवर जोजे दामोदर दास कौम पुष्करणा ब्राहम्ण सा. ढोला हाल पाली
6. उदाराम पुत्र गंगाराम ढोली सा. तिलवाड़ा तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
7. श्रीमती मुधवाला सिंह जोजे गोविन्दसिंह ककड़ सा. जोधपुर
8. श्रीमति राधेरानी जोजे गोविन्दसिंह ककड सा. जोधपुर
9. सूरजमल पुत्र चांदमल बिडला सा. फलौदी
10. श्रीमती वल्लभ प्यारी जोजे बंशीलाल माहेश्वरी सा. पाली
11. श्रीमति कांता जोजे जुगलकिशोर माहेश्वरी सा. पाली
12. श्रीमति अंजना जोजे भंवरलाल जैन सा. पाली
13. कमलकिशोर पुत्र दाउलाल बिडला सा. पाली
14. कानमल पुत्र चांदमल बिडला सा. पाली
15. मिसरीलाल पुत्र गीगाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
16. शंकरिया पुत्र उदाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
17. मालिया पुत्र नेनाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
18. दाउमिया पुत्र मिसरीराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
19. गोरालिया पुत्र उदाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
20. हीरिया पुत्र मोहन ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
21. शंकर पुत्र रूगाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
22. मोहन पुत्र खुगाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
23. कालूराम पुत्र सराराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर

Rohit
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

24. मेहरा पुत्र पुरखाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
25. भीकाराम पुत्र पुरखाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
26. घेवरिया पुत्र घेनाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर

उपस्थितिः—

1. तहसीलदार, पाली सरकारी पैरोकार
2. श्री मदन दास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 18,21 व 23

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:आदेशः— दिनांक 14/01/2026

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 765 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा वाके पाली चक नंबर 1 संवत 2019 से 2022 की जमाबंदी मे मोहन वल्द पोकर कौम मेघवाल भांबी सा. देह खातेदार दर्ज था। उक्त खसरा नम्बर मे से कुल रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा भूमि मे से जरिये कथित रजिस्टर्ड बेचाननामा 34 बीघा आराजी मियाला पुत्र किशना व मिसरा पुत्र मियाला कौम ढोली नाईयान सा. गजनीपुरा हाल पाली को बेचान कर दी। व 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपने नाम ही रखी। जिसके खसरा नम्बर 765 रकबा 34 बीघा व 765/1 रकबा 6 बिघा 2 बिस्वा बनवाये। यह बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के विरूद्ध है। अतः Abonitiovoid है। चुंकि कथित बेचानकर्ता अनू. जाति का सदस्य था। व खरीददराम तत्कालीन प्रचलित नियमो के अधीन अन्य पिछड़ी जाति का सदस्य था। उसके अतिरिक्त तत्कालीन प्रचलित विधि के अनुसार उक्त बेचान उपखण्डन की परिभाषा मे अता है जो कि विधि विरूद्ध है। उक्त कथित बेचानमाता का अमल गैरसायल 1,2 व 3 ने साज कर जरिये ना.क.सं. 114 अपने पक्ष मे करा लिया। जो कि विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। खसरा नम्बर 765/1 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा जो कि जरिये ना.स. 114 के कायम किया गया था। गैरसायल संख्या 1 द्वारा गैरसायल संख्या 6 उदाराम पुत्र गाराम कौम ढोली को जरिये बेचानामा के हस्तांतरण किया जिसके आधार पर ना.सं. 225 जो अप्रार्थी सं. 1 व 6 ने साज कर गैरसायल सं. 6 के नाम खातेदारी दर्ज करवाई। यह बेचान भी अनूसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अन्य पिछड़ी जाति के सदस्यों को है। अतः कं.सं. 225 निरस्त किये जाने योग्य है। गैरसायल संख्या 2 व 3 द्वारा उक्त आराजी 34 बीघा जरिये बेचाननामा गैरसायल 4,5 को विक्रय कर दी। इसके आधार पर ना.सं. 270 फैसल किया गया तथा 34 बीघा पर गैरसायल सं. 4,5 को खातेदार दर्ज कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि चुंकि ना.क.सं. 114 विधि विरूद्ध था अतः गैरसायल सं. 2 को कभी भी प्रकार के अधिकार विवादास्पद भूमि के प्राप्त नहीं हो सकते थे। ऐसी सूरत मे उसके द्वारा किया गया गैरसायल सं. 4,5 के हक मे बेचाननामा भी विधि विरूद्ध है। तथा इसके आधार पर निर्णित हुआ ना.स. 270 भी विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। गैरसाय सं. 5 द्वारा जरिये बेचाननामा अपने हिस्से की आ.ख.नं. 765 की 17 बीघा भूमि मे से 8 बीघा भूमि गैरसायल सं. 4 को बेचान कर दी जो कि अपखण्डन की परिभाषा मे आती है। अतः बेचानमाता का अमल जरिये ना.क. 298 किया गया जो कि विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। गैरसायल सं. 5 द्वारा उक्त आराजी मे से 9 बीघा रकबा जरिये बेचाननामा श्रीमति मधुबालासिंह जोजे गोविन्दसिंह व श्रीमति राधे रानी जोजे बनवारीलाल कौम ककड़ सा. जोधपुर को विक्रय कर दी। जिसका अमल राजस्व रेकर्ड मे जरिये ना.क.सं. 737 के किया गया। यह ना.क.सं. 737

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। गैरसायल सं. 7 व 8 के आ.ख.नं. 765 रकबा 9 बीघा को जरिये बेचाननामा गैरसायल सं. 9 लगाय 14 को विक्रय कर दी। जिसका अमल ना.क.सं. 758 के जरिये किया गया। यह ना.क.विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। गैरसायल सं. 6 द्वारा आ.ख.नं. 765/1 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा का बेचान गैरसायल संख्या 15 लगायत 26 को कर दिया। जिसका अमल ना.क.सं. 1313 द्वारा किया गया। यह ना.क. विधि विरू0 होने से निरस्त योग्य है। अतः उक्त परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए श्रीमान से प्रार्थना है कि नियम विरूद्ध बेचान होने से नामान्तरकरण संख्या 114,225,270,298,737,758,1313 वाके पाली चक नम्बर I को निरस्त फरमावें एवं खसरा नम्बर 765/1 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, 765/2 रकबा 9 बीघा, 765 रकबा 25 बीघा वाके ग्राम पाली चक नंबर I को सिवाय चक दर्ज करने व कब्जे राज लेने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 17,20,24,25 व 26 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे खसरा नम्बर 765 रकबा 34 बीघा व 765/1 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा बनाये जाने के संबंध मे अंकित तथ्य जानकारी के अभाव मे स्वीकार है। किन्तु यह गलत है कि खसरा नम्बर 765 मे से कुल रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा का रजिस्टर्ड बेचाण नियाला पुत्र किशना व मिसरा पुत्र नियाला को कर दिया हो वह बेचाणनाम धारा 42 काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध हो। प्रार्थना पत्र मे खसरा नंबर 465 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा जरिये नामान्तर संख्या 114 के कायम किया गया हो। यह जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है कि ग़ैरसायल संख्या 1 द्वारा गैरसायल संख्या 6 उदाराम पुत्र गंगाराम कौम ढोली को बेचाणनामे के जरिये हस्तान्तरण किया हो उक्त बेचाण के जरिये नामान्तरण संख्या 225 कायम किया गया हो ओर वह नामान्तरण निरस्त किये जाने हो। गैरसायल संख्या 6 उदाराम पुत्र गंगाराम ढोली द्वारा उत्तरदाता गैरसायल संख्या 16,17,20,24,25,26 को बेचाण किया गया था एवं उसके जरिये नामान्तरण संख्या 1313 भरा गया था एवं उत्तरदाता गैरसायल द्वारा गैरसायल संख्या 6 की जमाबंदी देखकर उसमे उसका नाम देखकर व उत्तरदाता के जाति का ही होने के आधार पर उसको प्रतिफल की राशि अदा कर सदभाविक रूप से खरीद की गई थी एवं गैरसायल संख्या 6 द्वारा बेचाणनामा के जरिये उत्तरदाता को कृषि भुमि का कब्जा सौप दिया था तब से करीब पिछले 45 वर्षो से वह काबिज है उसका काश्त है उसके काश्त मे किसी भी दखलन्दाजी नहीं रही है उसका उस भुमि पर बिना किसी विघ्न के लगातार खुलमखुल्ला अन्य के हितो के विपरित कब्जा काश्त रहा है इस प्रकार उत्तरदाता प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी उक्त भुमि के मालिक हो चुके है। यह कहना गलत है कि नामान्तर संख्या 1313 विधि विरूद्ध हो एवं वो निरस्त किये जाने योग्य हो। तथा अप्रार्थीगण संख्या 17,20,24,25 व 26 ने अपने जवाब साथ आपत्तिया पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के अनुसार मोहनलाल द्वारा गैरसायल संख्या 2 व 3 के पक्ष मे बेचाणनामा निष्पादित होकर म्युटेशन संख्या 114 स्वीकृत कर दिया गया एवं उस अनुसार राजस्व रेकर्ड मे तरमीम होकर खसरा नम्बर 765 व 765/1 कायम किये गये एवं उक्त खसरा नम्बर मे खरीददार व्यक्तियों के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दिय गये। इस प्रकार विधिक प्रक्रिया अपनाकर नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरण को गैरसायल संख्या 1 द्वारा कभी भी चुनौती नही दी गई है न ही उसके द्वारा अपना अधिकार बताया गया है। विक्रय पत्र से पूर्व मूल खातेदार द्वारा गैरसायल संख्या 2 व 3 को जरिये विक्रय पत्र बेचाणनामा निष्पादित किया गया था। गैरसायल संख्या 1 भाम्बी जाति का नही है न ही जमाबंदी में भाम्बी जाति होने का उसका कोई उल्लेख किया गया है इस कारण वह कौनसी

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

जाति का था यह तथ्य साबित नहीं है। इस कारण गैरसायल संख्या 6 के पक्ष मे किया गया बेचाण गलत एवं अवैध नहीं है न ही बेचाण धारा 42 के विरूद्ध है। गैरसायल संख्या 1 द्वारा सन 1964 मे गैरसायल संख्या 2 व 3 के पक्ष मे बेचाण किया गया था एवं गैरसायल संख्या 1 द्वारा शेष भूमि का विक्रय गैरसायल संख्या 6 को सन 1967 मे किया गया था । इस प्रकार तत्कानि विधि के अनुसार उसके विरूद्ध धारा 175 मे कार्यवाही करने की म्याद 3 वर्ष थी किन्तु प्रार्थीगण द्वारा 3 वर्ष मे कोई कार्यवाही नही की गई एवं बेचाण के लगभग 30 वर्ष पश्चात् सन 1995 मे उक्त कार्यवाही प्रस्तुत की गई है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्पष्टतः म्याद बाहर होने से खारीज किये जाने योग्य है। गैरसायल संख्या 1 मोहनलाल सन 2000 में फौत हो चुका है गैरसायल संख्या 2 नियाला का स्वर्गवास 1976 मे हो चुका है एवं गैरसायल संख्या 18,21,23 भी काफी वर्ष पूर्व फौत हो चुके है। गैरसायल संख्या 1,2,15,16,18,21,23 के कायम मुकाम रेकर्ड पर लाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है न ही विधिक प्रावधानो कें अनुसार कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया है न ही इसके कायम मुकान को पक्षकार के रूप में संयोजित करने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है न ही उसके उपर कोई आदेश पारित किया गया। इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ऐबेट हो चुका है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के अनुसार पोषणिय नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वाद कारण कब उत्पन्न हुआ उसका उल्लेख नहीं किया गया है इस कारण भी उक्त वाद पोषणिय नहीं है। उत्तरदाता गैरसायल द्वारा उक्त कृषि भुमि सद्भाविक रूप से गैरसायल 6 का नाम जमाबंदी मे देखकर उसी का मालिकाना हक मानते हुये गैरसायल उत्तरदाता के जाति को होने के कारण प्रतिफल की राशि अदा करते हुये सदभाविक रूप से खरीद की है। खरीद करने की दिनांक से उत्तरदाता का उक्त भुमि पर कब्जा है एवं पिछले लगातार 40 सालो से उसका कब्जा काश्त होने से एवं उक्त भुमि पर बिना विघ्न के मुफालखाना खुलमखुला कब्जा लगातार होने उत्तरदाता गैरसायल हक प्राप्त हो चुका है। इस कारण गैरसायल उत्तरदाता के पक्ष मे अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा किया गया बेचाणनामा वैध एवं उचित है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणिय नही है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध उत्तरदाता गैरसायल सव्यय खारीज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

4. पत्रावली पर तहसीलदार पाली द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया गया। मौजा ग्राम पाली I की जमाबन्दी संवत् 2068–2071 के खाता संख्या 21 के खसरा संख्या 765 रकबा 25 बीघा बारानी दोयम अमरचंद वल्द खींवराज कौम ओसवाल गादीया सा. देह खातेदार व जमाबन्दी संवत् 2068–2071 के खाता संख्या 434 के खसरा संख्या 765/ रकबा 6.02 बीघा बारानी दोयम मिसरीलाल पुत्र गीगाराम (2) शंकरिया पुत्र गीगाराम (3) मालीया पुत्र नेनाराम (4) दाडमिया पुत्र उमिसरीराम (5) गोरलिया पुत्र उदा राम (6) हीरिया पुत्र मोहन (7) शंकर पुत्र रूग्गाराम (8) मोहन पुत्र खंगारराम (9) कालूराम पुत्र सराराम (10) मेहरा पुत्र पुरखाराम (11) भीकाराम पुत्र पुरखाराम (12) घेवरिया पुत्र चेनाराम जति ढोली नि. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर खातेदार एवं जमाबन्दी संवत् 2068–2071 के खाता संख्या 623 के खसरा संख्या 764 व 765/2 रकबा 16.08 बीघा व 9 बिघा बारानी दोयम सुरजमल वल्द चांदमल बिडला सा. फलोदी वल्लभ प्यारी जोजे बंशीलाल महेश्वरी सा. जोधपुर कांता जोजे जुगलकिशोर महेश्वरी फलोदी, अंजना जोजे भंवरलाल जैन कमलकिशोर वल्द दाउलाल बिडला कानमल वल्द चांदमल बिडला सा. देह खातेदार दर्ज है। मौजा ग्राम पाली I की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 449 के खसरा संख्या 765 रकबा 25 बीघा बारानी दोयम मोहन पुत्र पोकर कौम भाम्बी सा. देह खातेदार व जमाबन्दी संवत्

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

2072–2075 के खाता संख्या 451 के खसरा संख्या 765/1 रकबा 6.02 बीघा बारानी दोयम मोहन पुत्र पोकर कौम भाम्बी सा. देह खातेदार एवं जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 450 के खसरा संख्या 765/2 रकबा 9 बीघा बारानी दोयम मोहन पुत्र पोकर कौम भाम्बी सा. देह खातेदार ना. सं. 114,270 दर्ज है।

5. उक्त विवेचन के आधार पर पाली चक I की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 449 के खसरा संख्या 765 रकबा 25 बीघा बारानी दोयम मोहन पुत्र पोकर कौम भाम्बी सा. देह खातेदार व जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 451 के खसरा संख्या 765/1 रकबा 6.02 बीघा बारानी दोयम मोहन पुत्र पोकर कौम भाम्बी सा. देह खातेदार एवं जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 450 के खसरा संख्या 765/2 रकबा 9 बीघा बारानी दोयम मोहन पुत्र पोकर कौम भाम्बी सा. देह खातेदार ना. सं. 114,270 दर्ज है। अतः उक्त भूमि वर्तमान में मोहन पुत्र पोकर कौम भाम्बी सा. देह खातेदार दर्ज है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। तहसीलदार पाली द्वारा प्रस्तुत यह वाद अंतर्गत 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं रह जाने के कारण खारीज किया जाता है।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

सह आदेश आज दिनांक 14-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली कैप–कूरना

बइजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या– राजस्व वाद संख्या 05 सन् 1995 अंतर्गत धारा 175 आर.टी.एक्ट,1955

प्रार्थी:–

तहसीलदार, पाली (भूमिधारी)

बनाम अप्रार्थीगण:–

1. मोहनलाल पुत्र पोकर कौम भांबी, सा. पाली
2. मियाला पुत्र किशना कौम ढोली सा. गजनीपुरा हाल पाली
3. सिसरा पुत्र मियाला कौम ढोली सा. गजनीपुरा हाल पाली
4. अमरचंद पुत्र खींवराज कौम ओसवाल गादिया सा. पाली
5. सुन्दरकंवर जोजे दामोदर दास कौम पुष्करणा ब्राहम्ण सा. ढोला हाल पाली
6. उदाराम पुत्र गंगाराम ढोली सा. तिलवाड़ा तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
7. श्रीमती मुधबाला सिंह जोजे गोविन्दसिंह ककड़ सा. जोधपुर
8. श्रीमति राधेरानी जोजे गोविन्दसिंह ककड सा. जोधपुर
9. सूरजमल पुत्र चांदमल बिडला सा. फलौदी
10. श्रीमती वल्लभ प्यारी जोजे बंशीलाल माहेश्वरी सा. पाली
11. श्रीमति कांता जोजे जुगलकिशोर माहेश्वरी सा. पाली
12. श्रीमति अंजना जोजे भंवरलाल जैन सा. पाली
13. कमलकिशोर पुत्र दाउलाल बिडला सा. पाली
14. कानमल पुत्र चांदमल बिडला सा. पाली
15. मिसरीलाल पुत्र गीगाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
16. शंकरिया पुत्र उदाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
17. मालिया पुत्र नेनाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
18. दाउमिया पुत्र मिसरीराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
19. गोरालिया पुत्र उदाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
20. हीरिया पुत्र मोहन ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
21. शंकर पुत्र रूगाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर

Rahul

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

22. मोहन पुत्र खुगाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
23. कालूराम पुत्र सराराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
24. मेहरा पुत्र पुरखाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
25. भीकाराम पुत्र पुरखाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
26. घेवरिया पुत्र घेनाराम ढोली सा. जसोल तह. पचपदरा जिला बाड़मेर

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री तहसीलदार पाली,सरकारी पैरोकार वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व मदान दास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि सरकार की ओर से धारा 175 आर.टी.एक्ट के तहत वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुब्लिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ......शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..15.. माह ...01.. सन 2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....Rohi.....
सहायक कलेक्टर पाली
ओहदा....................................

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Rohi
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.02.17 11:47:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: